प्रेस विज्ञप्ति
01.05.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता जोनल कार्यालय ने टीपीग्लोबलएफएक्स (टीएम ट्रेडर और केके ट्रेडर्स) के मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत विराज सुहास पाटिल से संबंधित 18.58 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है।

ईडी ने मेसर्स टीएम ट्रेडर्स और मेसर्स केके ट्रेडर्स के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। यह पता चला कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, टीपी ग्लोबल एफएक्स के पास विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए पंजीकरण और प्राधिकरण का अभाव है। RBI ने 07.09.2022 की एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, टीपीग्लोबलएफएक्स को अपनी अलर्ट सूची में शामिल किया और आम जनता को अपंजीकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ने के प्रति आगाह किया।

ईडी की जांच से पता चला कि प्रसेनजीत दास, शैलेश कुमार पांडे, तुषार पटेल और अन्य लोगों द्वारा धोखाधड़ी का एक जटिल जाल बिछाया गया था, जो विभिन्न डमी कंपनियों/संस्थाओं के माध्यम से काम करते थे, जनता को टीपी ग्लोबल एफएक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार में निवेश करने के लिए लुभाते थे। विराज सुहास पाटिल और जोसेफ मार्टिनेज़ द्वारा प्रवर्तित आइएक्स ग्लोबल ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग किया, ताकि पर्याप्त रिटर्न का वादा करते हुए टीपीग्लोबलएफएक्स प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके निवेश किया जा सके। नतीजतन, निवेशकों ने अपना धन इस धोखाधड़ी वाली योजना में डाल दिया, और इन निधियों को आरोपी व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया।

इससे पहले, ईडी ने शैलेश कुमार पांडे, प्रसेनजीत दास और विराज सुहास पाटिल को गिरफ्तार किया था। इस मामले में नकदी, सोना, अचल संपत्ति, आतिथ्य प्रतिष्ठान, वाहन, क्रिप्टो मुद्राएं और बैंक जमा राशि सहित 263 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त/अवरुद्ध/कुर्की की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ दो अभियोजन शिकायतें पहले ही दायर की जा चुकी थीं, जिसमें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने धन शोधन के अपराध का संज्ञान लिया था।

आगे की जांच जारी है।